



**M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

Panchanan, 3<sup>rd</sup> Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: [mpagrohbpl@gmail.com](mailto:mpagrohbpl@gmail.com)

CIN No U01119MP19695GC001055

क.मुख्या/उद्यान/2019-20/4272

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

**द्वितीय प्रसारण**

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

विषय :-दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये संकर पुष्प बीजों एवं पुष्प कन्द की दरों के अनुमोदन के संबंध में  
दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये संकर पुष्प बीजों एवं पुष्प कन्द के प्रदाय हेतु आर सी ओ  
आमंत्रित किये गये तथा प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार निम्नानुसार प्रदायकों  
की दरों का अनुमोदन जारी किया जाता है :-

क.	प्रदायककर्ता का नाम/उत्पादक कम्पनी का नाम	संकर पुष्प बीज /पुष्प कन्द	प्रजाति	विक्रय दर निगम मार्जिन 5 प्रतिशत सहित एफ ओ आर विकास खण्ड स्तर तक
1.	अरुणा इन्टरप्राइजेस ए 235 सेक्टर ए शाहपुरा भोपाल 9826042216	मेरीगोल्ड संकर पुष्प बीज	स्कार्पियो आरेंज स्कार्पियो येलो सोनाटा आरेंज सोनाटा येलो	रु 124.19 प्रति 100 बीज
		एस्टर संकर पुष्प बीज	रायल मिक्स	रु 100/.. प्रति 100 बीज
उत्पादक का नाम: नामदेव उमाजी एग्रीटेक (इन्डिया) प्रा. लि. पुना				
2	राक्स हार्ट एग्री आर्गेनिक्स प्रा. लि. सी एम 68 सेक्टी सी शाहपुरा भोपाल 9926525493	मेरीगोल्ड संकर पुष्प बीज	एस डब्लू 504 एस डब्लू 505	रु 124.19 प्रति 100 बीज
उत्पादक का नाम सीडवर्क्स इन्टरनेशनल प्रा. लि. हैदारबाद				
3	आर के इन्टरप्राइजेस आर के हाउस नियर नवग्रह मंदिर कमला गंज शिवपुरी 9893610122	ग्लेडूलस पुष्प कन्द	सिंगल कलर	रु 250/.. प्रति 100 कन्द
		ग्लेडूलस पुष्प कन्द	डबल कलर	रु 300/.. प्रति 100 बीज

*Dr.*



**M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

Panchanan, 3<sup>rd</sup> Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: mpagrohbpl@gmail.com

CIN No U01119MP19695GC001055

//2//

क्र.	प्रदायककर्ता का नाम/उत्पादक कम्पनी का नाम	संकर पुष्प बीज /पुष्प कन्द	प्रजाति	विक्रय दर निगम मार्जिन 5 प्रतिशत सहित एफ ओ आर विकास खण्ड स्तर तक
4	शुभम औषधी रोपणी, शाप नम्बर डी 18 जयन्ती काम्पलेक्स मढ़ाताल जबलपुर 9300112615	ग्लेडूलस पुष्प कन्द	सिंगल कलर	रु 250/.. प्रति 100 कन्द
		ग्लेडूलस पुष्प कन्द	डबल कलर	रु 300/.. प्रति 100 बीज

प्रदायगी की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. जिलों में प्राप्त मांग का पूर्ण विवरण जिला प्रबंधक **मुख्यालय** को विधिवत आदेश जारी करने के लिये प्रेषित करेंगे। मांग के साथ संबंधित विभाग से प्राप्त मांग की फोटोप्रति अनिवार्यतः संलग्न की जाना होगी।
2. प्रदाय आदेश में उल्लेखित सीमा के भीतर यदि सामग्री प्राप्त नहीं होती है तो विलंब की स्थिति में सामग्री प्राप्ति हेतु संबंधित विभाग से लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरांत प्रदायगी स्वीकार की जाएगी।
3. बिना मुख्यालय आदेश के संकर पुष्प बीजों/पुष्प कन्द की प्रदायगी मान्य नहीं की जावेगी।
4. संकर पुष्प बीजों/पुष्प कन्द की प्रदायगी निम्नानुसार रहेगी :
  - 4.1 मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध प्रदायक द्वारा सामग्री का प्रदाय निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से प्राप्तकर्ता विभाग को किया जाएगा।
  - 4.2 प्रदायक द्वारा संकर पुष्प बीजों/पुष्प कन्द के साथ चालान/देयक 3 प्रतियों में प्रस्तुत किये जाएंगे। निगम द्वारा आदेशित मात्रा में संकर पुष्प बीजों की पैकिंग कार्य उत्पादक कम्पनी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा तथा कम्पनी पैकिंग में की गई प्रदायगी ही मान्य की जाएगी।
  - 4.3 सामग्री प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा सामग्री की गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट संलग्न प्रारूप क्रमांक 1 में जारी कर जिला प्रबंधक को उपलब्ध कराई जाएगी।
  - 4.4 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रबंधक द्वारा सामग्री प्राप्तकर्ता विभाग को प्रदाय की जाएगी एवं सामग्री प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा हितग्राहियों को सामग्री का वितरण कराया जाएगा। प्रदायगी के 30 दिवस के अन्दर प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा संतुष्टी रिपोर्ट संलग्न प्रारूप क्रमांक 2 में जारी की जाएगी।
5. प्रदायक द्वारा पैकेज आफ प्रेक्टिस पठनीय हिन्दी भाषा में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाएंगे।
6. संकर पुष्प बीजों/पुष्प कन्द की गुणवत्ता से संबंधी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जायेगा एवं यदि हितग्राहियों को संकर पुष्प बीजों/पुष्प कन्द पौधों की गुणवत्ता से हानि होती है तो नियमानुसार उसकी भरपाई भी प्रदायक द्वारा की जाना आवश्यक होगी।

*DL*



**M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

Panchanan, 3<sup>rd</sup> Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: [mpagrohbpl@gmail.com](mailto:mpagrohbpl@gmail.com)

CIN No U01119MP19695GCC001055

//3//

7. प्रदायित संकर पुष्प बीजों/पुष्प कन्द का भुगतान पश्चात भुगतान (अर्थात निगम को संबंधित विभाग से भुगतान प्राप्त होने के उपरांत ) के आधार पर मुख्यालय द्वारा किया जावेगा । 80 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रदायित टिशू कल्चर पौधों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं 2 प्रतियों में निगम के जिला प्रबंधक द्वारा सत्यापित देयक प्राप्त होने के 30 दिवस में तथा शेष भुगतान प्राप्तकर्ता विभाग से संतुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के सामान्यतः 60 दिवस में किया जावेगा ।

संतुष्टी रिपोर्ट प्राप्त न होने की दशा में भौतिक सत्यापन के 60 दिवस की अवधि में प्राप्तकर्ता विभाग से कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती है तो जिला प्रबंधक इस आशय की जानकारी मुख्यालय को पत्र से प्रेषित करेगा तथा जिला प्रबंधक से प्राप्त पत्र के आधार पर प्रदायक को देय शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार किये गये भुगतान पर प्राप्तकर्ता विभाग आपत्ति नहीं ले सकेगा।

8. क्षेत्रीय/जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर बाजार जाकर सुनिश्चित करें कि निगम द्वारा अनुमोदित संकर पुष्प बीजों/पुष्प कन्द का विक्रय स्थानीय बाजार में निगम द्वारा अनुमोदित दर से कम पर तो नहीं किया जा रहा है ।

9. इस पत्र के माध्यम से जो दरे अनुमोदित की गई है वह निगम द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से प्रदाय हेतु लागू रहेगी तथा इन्हें किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये दरों का अनुमोदन ना माना जाए। यदि कोई विपरित स्थिति निर्मित होती है तो निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा।

प्रदायगी की शेष शर्तें निष्पादित अनुबंध एवं आरसीओ के अनुसार यथावत रहेंगी। आर सी ओ की प्रति निगम की वेबसाईट से डाउनलोड कर रिकार्ड में सुरक्षित रखे।

*Devarshi*

उप महाप्रबंधक (उद्यान) 22/11/19

प्रतिलिपि:-

4273  
22-11-19

1. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया फल पौधों की दरों के अनुमोदन के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने का कष्ट करे।
2. आयुक्त , संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. महाप्रबंधक लेखा, निगम मुख्यालय, भोपाल
4. जिला प्रबंधक ,समस्त
5. मे. ....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

*Devarshi*

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

22/11/19



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Panchanan, 3<sup>rd</sup> Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: mpagrohbpl@gmail.com

CIN No U01119MP19695GC001055

प्रारूप क्रमांक 1

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

संकर पुष्प बीज/पुष्प कन्द

निगम मुख्यालय के आदेश क्रमांक मुख्या/उद्यान/2019-20/..... दिनांक .....  
.....के क्रम में मेसर्स ..... द्वारा चालान/देयक  
क्रमांक ..... दिनांक ..... से .....संकर पुष्प बीज/पुष्प कन्द.....  
..... मात्रा प्रदाय किये गये जिनका भौतिक सत्यापन आज दिनांक ..... को  
किया गया ।

भौतिक सत्यापन का विवरण निम्नानुसार है :

क्रमांक	सामग्री का नाम	किस्म	प्रदायक/उत्पादक का चालान क्र. /दिनांक	प्राप्त मात्रा	सामग्री की गुणवत्ता
1					
2					

सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप है तथा इस हितग्राहियों को वितरित करने की अनुशंसा की जाती है।

उप संचालक, .....	वरि.उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड.....	जिला प्रबंधक .....
------------------	--	-----------------------



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Panchanan, 3<sup>rd</sup> Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: mpagrohbpl@gmail.com

CIN No U01119MP19695GC001055

प्रारूप क्रमांक 2

कार्यालय उप संचालक,  
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी  
जिला .....

क्रमांक .....

दिनांक .....

संतुष्टी रिपोर्ट

जिला प्रबंधक, एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज द्वारा चालान/देयक क्रमांक ..... दिनांक  
.....से संकर पुष्प बीज/पुष्प कन्द ..... कुल मात्रा .....  
...राशि रू ..... का प्रदाय किया गया । प्रदाय किये गये संकर पुष्प बीज/पुष्प  
कन्द की गुणवत्ता से संतुष्ट है तथा संकर पुष्प बीज/पुष्प कन्द की गुणवत्ता के संबंध में फील्ड  
से इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

कार्यालय उप संचालक,  
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी  
जिला .....